

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
अनुभाग-1

प.5(1)प्रसु/सम/अनु-1/2018

दिनांक:-06.07.2021


-:आज्ञा:-

इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आज्ञा दिनांक 10.09.2019 द्वारा दिनांक 30.09.2019 से राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर लगाये गये पूर्ण प्रतिबंध में दिनांक 14.07.2021 से 14.08.2021 तक छूट प्रदान की जाती है।

इस अवधि में निम्न शर्तों की पालना सुनिश्चित की जाये:-

1. राज्य में कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुये स्थानान्तरण के लिये आवेदक का प्रार्थना पत्र संबंधित विभाग की वेबसाइट/पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार किया जावे। इस हेतु कोई भी आवेदक कार्यालय आदि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होगा और न ही कोई विभाग कागजी आवेदन पत्र पर विचार करेगा।

यह आदेश राज्य के समस्त निगमों/मंडलों/स्वायत्तशासी संस्थाओं पर भी लागू होगा।


(प्रियंका गोस्वामी)
संयुक्त शासन सचिव

मानक वितरण